रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03112026-277608
CG-DL-E-03112026-277608

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5699] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 30, 2026/कार्तिक 8, 1948
No. 5699] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 30, 2026/KARTIKA 8, 1948

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5931(अ).— केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एल.पी.जी. के परिवहन के लिए "कांडला गोरखपुर एल.पी.जी. पाइपलाइन परियोजना" अनुभाग : पिपावाव से दुमाड टर्मिनल के क्रियान्वयन हेतु आई.एच.बी. लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी आवश्यक है ।

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, और जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना में युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाए जाने हेतु उसमें उपयोग के अधिकार के संबन्ध में श्री अवलाभाई खातराभाई बारीआ, सक्षम प्राधिकारी एवं डिप्टी

कलेकटर (सेवानिवृत्त), "कांडला गोरखपुर एल.पी.जी. पाइपलाइन परियोजना", आई.एच.बी. लिमिटेड, गुजरात को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा ।

अनुसूची

तहसीलः- सावली जिलाः- वड़ोदरा राज्यः- गुजरात

मौजा / ग्राम	सर्वे / ब्लाक / सं.	सब-डीव-सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	आरे	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
पोइचा(रा)	78	1	00	02	09
	500	10पैकी2	00	16	69
	32	पैकी1	00	02	16

[फा. सं. आर-11025(15)/11/2019-ओआर-आई-भाग (1)/ई-45901]

हरित कुमार शाक्या, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th October, 2026.

S.O. 5931(E).— Whereas, it appears to the Central Government, that it is necessary in the public interest that for the transportation of the LPG a pipeline should be laid for implementing “Kandla -Gorakhpur LPG Pipeline Project”, by IHB Limited from Pipavav to Dumad Terminal, in the state of Gujarat.

And, whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the right of user (RoU) in the land under which the said pipeline is proposed to be laid, and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person who is interested in the land described in the said Schedule, may submit objection in writing to Shri Avalabhai Khatarabhai Baria, Competent Authority and Deputy Collector (Retd), "Kandla Gorakhpur LPG Pipeline Project” IHB Limited, Gujarat within twenty-one days from the date on which the copies of this notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India, are made available to the general public.

Schedule

Tehsil - Savli **District:- Vadodara** **State :- Gujarat**

Mouja / Village	**Survey/Block No.**	**Sub-Div-No.**	**Area**		
			Hectare	**Are**	**Sq.mtr.**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Poicha (Ra)	78	1	00	02	09
	500	10P2	00	16	69
	32	P1	00	02	16

[F. No. R-11025(15)/11/2019-OR-I-Part (1)/E-45901]

HARIT KUMAR SHAKYA, Under secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR Digitally signed by VINOD KUMAR Date: 2026.11.03 16:07:58 +05'30'